भीलवाड़ा

09.12.17 पत्रावली आज समक्ष लोक अदालत माह दिसम्बर 2017
बैंच निस्तारण पर प्रस्तुत हुई। वादी प्रतिवादी अधिवक्तागण
उपस्थित हैं। प्रतिवादी बावजूद समन के अनुपस्थित/जारी
को राजीनामा पत्र/समझौता पत्र को स्वीकार किया जाता है।
निर्णय जारी है। निर्णयानुसार पत्रावली फैसल शुमार हो।
नत्थी रिकार्ड हो।

अधिकारी
भीलवाड़ा

1. नन्दा पुत्र [illegible] नानू [illegible] निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा। —प्रार्थी

बनाम

1. [illegible] पुत्र नन्दा बलाई, निवासी [illegible], तहसील माण्डलगढ, जिला भीलवाडा।
2. गोपाल पुत्र बद्री जाट, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. मोहन पुत्र बद्री जाट, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
4. कल्याण पुत्र लक्ष्मण जाट, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
5. नन्दा पुत्र मोतीलाल तेली, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
6. घासी पुत्र मोतीलाल तेली, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा
7. जमना पुत्र मोतीलाल तेली, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
8. रामस्वरूप पुत्र संतोकदास बैरागी, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
9. देवा पुत्र रामचन्द्र कुम्हार, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
10. रामेश्वर पुत्र नानू गाडरी, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
11. धन्ना पुत्र नानू गाडरी, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
12. सत्यनारायण पुत्र भंवर लाल गाडरी, निवासी सिदडियास तहसील व जिला भीलवाडा।
13. राधाकृष्ण पुत्र रामकुमार वैष्णव, निवासी सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाडा।
14. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 02.06.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 03.05.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सिदडियास, पटवार हल्का सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित प्रार्थी की आराजी संख्या 935 रकबा 01–00 बीघा, आराजी संख्या 936 रकबा 00–09 बीघा, आराजी संख्या 937 रकबा 02–09 बीघा, कुल किता 03 कुल रकबा 03–18 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण संख्या 01 से लगायत 13 उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सिदडियास, पटवार हल्का सिदडियास, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 935 रकबा 01–00 बीघा, आराजी संख्या 936 रकबा 00–09 बीघा, आराजी संख्या 937 रकबा 02–09 बीघा, कुल किता 03 कुल रकबा 03–18 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 400/– अक्षरे चार सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 02.06.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी एवं